

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्षय महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P-2/97/2024 Shri Pawan Kumar Tiwari, Partner, M/s SKY LIGHT INFRASTRUCTURE, Village- Harraha, Post- Bahera, Tehsil- Mauganj, District- Rewa (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.10. ha. 22040 cum per annum) (Khasra No. 24/1 & 25) Village -Harraha, Tehsil- Mahuganj, District- Rewa (M.P.). TOR.**

प्रकरण आज सेक की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

2. **Case No. 9692/2023 Shri AJAY PAYAK, lease owner, R/O- KHERE KI DEVI KE PASS, CHHATARPUR DISTRICT- CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.752 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 1247) Village- Chauka Tehsil- Chhatarpur , Distt.- Chhatarpur, (M.P.) (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri AJAY PAYAK, ऑनलाईन एवं

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय सिंह (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	“Chauka Stone Mine” of M/s Shri Ajay Singh,(Lessee), R/o- Near Khare Ki Devi, Chhatarpur, District-Chhatarpur (M.P.).
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1247 1.752hectare.(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village- Chauka, Tehsil- Chhatarpur, District- Chhatarpur, State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh, Bhopal vide order No- Kramank 1129/ khani/ Q.L./N.Kr.-19/2020, Bhopal, dated-19/01/2021.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर	सेक की 631 वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 को अनुशासित, सिया के पत्र क्रमांक 946/SEIAA/2023 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा पत्थर 30,000 cu.m./ year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 30,000 cu.m./year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 30,000 cu.m./year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.352हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	प्रमाण-पत्र क्रमांक 54/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/मानघाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत चौका, जिला- छतरपुर (म.प्र.) क्रमांक 02/ग्रा. पं./2019 दिनांक- 22/08/2019 प्रस्ताव क्रमांक 03 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 21 पेड़ ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 16 पेड़ ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 160 पेड़
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति; खदान के 500मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप को के साथ प्रस्तुत करें।	उत्तर पश्चिम दिशा में-खड़गांव तालाब -224 मी. पर; उत्तर दिशा में कच्ची सड़क पट्टा क्षेत्र से गुजर रहा है जो खनिज परिवहन के लिए है जिसको लीज बाउंड्री की तरफ से परिवर्तित किया जाएगा जिसकी लगत ई एम पी में शामिल की गई है उत्तर दिशा में 80 मीटर की दूरी पर माईन शेल्टर है दक्षिण पूर्व दिशा में-कच्चारोड-170 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-54 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	<ul style="list-style-type: none"> ● सहमत है। चौका की शाला को विकसित करेंगे। ● सहमत है। लोगों को रोजगार मिलेगा। ● सहमत है। लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ● हमें खदान से कोई परेशानी नहीं है। <p>समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।</p>

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 30,000 cu.m./year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.69 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
चौका गांव के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास और प्रयोगशाला के लिये शिक्षक पालक संघ के खाते में राशि प्रथम वर्ष में जमा कराया जायेगा	50,000 / -
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा चौका गांव में गौशाला के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत के खाते में राशि जमा कराया जायेगा	1,00,000 / -

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2310 वृक्षों का वृक्षारोपण :-
- 8.

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150
3	खड़गायन, पिपोरा खुर्द, पटपरन पुरवा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक, मुनगा इत्यादि।	1640
4	प्राथमिक विद्यालय चौका	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम,	20

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

में	पुतरंजीवा,मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।
दूसरे वर्ष से 5 वें वर्ष तक मृत पौधे का प्रतिस्थापन प्रस्तावित किया जाएगा।	
रखरखाव एवं समस्त गतिविधियां द्वितीय वर्ष से पट्टा अवधि के अंत तक किया जाएगा।	
वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता 1 एलपीडी/पौधे है, जो सर्दियों के मौसम में सप्ताह में दो बार और गर्मियों के मौसम में दैनिक होती है।	

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No. 9699/2023 Shri BRIJENDRA SINGH GAUTAM, Partner, M/s SHRI KRISHNA UNIVERSE, R/O- D-48, GREEN AVENUE COLONY, SATAI ROAD DISTRICT- CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.80 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 1247) Village- Chauka Tehsil- Chhatarpur , Distt.- Chhatarpur (M.P.) (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए की है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह गौतम, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	“Chauka Stone Mine” of M/s Shri Krishna Universe”,(Partner- Shri Brajendra Singh Gautam), R/o- D-48, Green Avenue Colony, Satai Road, Chhatarpur, District-Chhatarpur (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1247 3.80 hectare.(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village- Chauka, Tehsil- Chhatarpur, District- Chhatarpur, State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	Directorate of Geology & Mining, Bhopal, Madhya Pradesh vide order No- Kramank 1130-35/ khani/ Q.L./N.Kr.- 2/2020, Bhopal, dated-19/01/2021.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नही

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

टॉर	सेक की 631वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 को अनुसिात, सिया के पत्र क्रमांक 932/SEIAA/2023 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा पत्थर 1,00,000 cu.m./ year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 1,00,000 cu.m./year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 1,00,000 cu.m./year है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 53/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.352 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 53/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक- 06/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 53/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक- 06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेािन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत चौका, जिला- छतरपुर (म.प्र.) क्रमांक 02/ग्रा. पं./2019 दिनांक- 22/08/2019 प्रस्ताव क्रमांक 03 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-30 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 9 पेड़ ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 90 पेड़ ● यदि पेड़ों का गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0.34 हे.) में

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति;खदान के 500मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटको</p>	<p>उत्तर दक्षिण दिशा मे-खड़गांव तालाब-234 मी. पर; उत्तर पश्चिम दिशा मे-खड़गांव तालाब -224 मी. पर; उत्तर दिशा में कच्ची सड़क पट्टा क्षेत्र से गुजर रहा है जो खनिज परिवहन के लिए है जिसको लीज बाउंड्री की तरफ से परिवर्तित किया जाएगा जिसकी लगत ई एम पी में शामिल की गई है उत्तर दिशा में 83 मीटर की दूरी पर माईन शेल्टर है</p>
<p>प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-55 पर दर्ज है ।</p>
<p>जन सुनवाई</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सहमत है। चौका की शाला को विकसित करेंगे। ● सहमत है। लोगो को रोजगार मिलेगा। ● सहमत है। लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ● हमे खदान से कोई परेशानी नहीं है। <p>समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आव यक्तानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसाकरतीहै:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 23.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.11 लाख प्रतिवर्ष
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

7. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है ।
9. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
- 10- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये ।

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
चौका गांव के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास और प्रयोगशाला के लिये शिक्षक पालक संघ के खाते में राशि प्रथम वर्ष में जमा कराया जायेगा ।	1,00,000 / -
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा चौका गांव में गौशाला के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत का सहयोग किया जायेगा ।	1,00,000 / -

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम कम से कम 4,600 पौधों का वृक्षारोपण 01 वर्ष में किया जाएगा ।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)	टिप्पणी
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000	चार पौधों के बीच में एक पौधा सीताफल का रोपा जायेगा एवं पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. X 0.70मी. X 0.70मी. गड्ढे में आधा गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा। गारलेण्ड ड्रेन के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में नीम, बबूल प्रोसोपीस और अन्य प्रकार के स्थानीय बीज का रोपण किया जायेगा ।

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

2	परिवहन मार्ग (200 मीटर) पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	150	1.5 मीटर ऊँचाई के पौधे लगाए जायेंगे और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.70मी. X 0.70मी. X 0. 70मी. गड्डे में आधा गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा, प्रभावशाली 6 फिट उँचाई का ट्री-गार्ड।
3	चौका गोंछी, खड़गायन, पिपोरा खुर्द, मातगुवां, पटपरन पुरवा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक, मुनगा इत्यादि।	3480	ग्राम वासी इन पेड़ों को अपने घर व खेत में लगाएंगे।
4	प्राथमिक विद्यालय चौका में	कदंब, अमलतास, अशोक, पुतरंजीवा, नीम, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20	स्कूल की बॉउन्ड्रीवाल बन चुकी है।
योग				4650
दूसरे वर्ष से 5 वें वर्ष तक मृत पौधे का प्रतिस्थापन प्रस्तावित किया जाएगा।				
रखरखाव एवं समस्त गतिविधियां द्वितीय वर्ष से पट्टा अवधि के अंत तक किया जाएगा।				
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांकित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।				

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **Case No. P2/574 /24 Shri SHAHRUKH KHAN, Owner, Add- Simrai, Post-Obaidullaganj, Tehsil- Goharganj, District- Raisen (M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.90 ha. (Stone – 35625 m3/Year (Khasra No. 96/1) Village- Agariya, Tehsil- Goharganj, District- Raisen (M.P) TOR**

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **शारुख खान** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	शारुख खान निवासी गाव- अगरिया, तहसील- गोहरगंज जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 96/1 (प्राइवेट -नॉनफॉरेस्ट लैंड)	क्षेत्रफल-3.90 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम-अगरिया ,तहसील- गौहरगंज और जिला-रायसेन राज्य मध्य प्रदेश।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 6300-01/खनिज/यू.पी./न.क्र. 06/2023 भोपाल दिनांक 25.05.2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	--	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-35,625 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 35,625 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2043/खनिज/2023 रायसेन, दिनांक 29.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2043/खनिज/2023 रायसेन, दिनांक 29.12.2023 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2043/खनिज/2023 रायसेन, दिनांक 29.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अगरिया जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08.03.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशरलीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं केशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
13. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

5. Case No. 9697/2023 Shri BRIJENDRA SINGH GAUTAM, Partner, M/s SHRI KRISHNA UNIVERSE, R/O- D-48, GREEN AVENUE COLONY, SATAI ROAD DISTRICT- CHHATARPUR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.80 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 1247) Village- Chauka Tehsil- Chhatarpur , Distt.- Chhatarpur (M.P.) (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए की है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेंद्र सिंह (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	"Chauka Stone Mine" of M/s Shri Surendra Singh",(Lessee), R/o- Near Brahmkumari ashram, Chhatarpur, District-Chhatarpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1247	2.8hectare.(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village- Chauka, Tehsil- Chhatarpur, District- Chhatarpur, State-Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	Directorate of Geology & Mining, Madhya Pradesh,Bhopal vide order No- Kramank 1129/ khani/ Q.L./N.Kr.-19/2020,	

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

	Bhopal, dated-19/01/2021.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर	सेक की 631वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 को अनुशांसित, सिया के पत्र क्रमांक 944/SEIAA/2023 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा पत्थर 50,000 cu.m./ year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 50,000 cu.m./year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 50,000 cu.m./year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 55/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.352 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 55/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर (म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 55/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-06/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ श्मशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत चौका, जिला- छतरपुर (म.प्र.) क्रमांक 02/ग्रा. पं./2019 दिनांक- 22/08/2019 प्रस्ताव क्रमांक 03 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 32 पेड़ ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 16 पेड़ ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	<p>संख्या 160 पेड</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण 0.60 हे. में
<p>प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति;खदान के 500मी. की परिधि में स्थित संवेदन गील घटको (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी द र्गितें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें ।</p>	<p>उत्तर पूर्व दिशा मे-खड़गांव तालाब-220 मी. पर;</p> <p>दक्षिण दिशा मे-राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34)- 740 मी.</p> <p>दक्षिण दिशा मे-कच्चारोड-10 मी. 40 मीटर का सेटबैक (क्षेत्रफल-0.25 हेक्टेयर) देते हुए पुनरीक्षित सरफेस में पप्रस्तुत किया गया है</p> <p>दक्षिण पश्चिम दिशा मे-वृक्षो की उपस्थिति के कारण 10 मीटर का सेटबैक (क्षेत्रफल-0.60 हेक्टेयर)।</p> <p>दक्षिण पूर्व- कच्चारोड-50 मी</p> <p>दक्षिण पश्चिम- कच्चारोड-69 मी</p> <p>उत्तर दिशा में 190 मीटर की दूरी पर माईन शेल्टर है</p>
<p>प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-66 के सरल क्रमांक-53 पर दर्ज है ।</p>
<p>जन सुनवाई</p>	<ul style="list-style-type: none"> सहमत है। चौका की शाला को विकसित करेंगे। सहमत है। लोगो को रोजगार मिलेगा। सहमत है। लोगो को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हमे खदान से कोई परेशानी नहीं है। <p>समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आव यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक /पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 50,000 cu.m./year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5.13 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
चौका गांव के प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास और प्रयोगशाला के लिये शिक्षक पालक संघ के खाते में राशि प्रथम वर्ष में जमा कराया जायेगा ।	1,00,000 /—
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा चौका गांव में गौशाला के निर्माण के लिये ग्राम पंचायत का सहयोग किया जायेगा ।	1,00,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3520 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	150
3	चौका गौंछी, खड़गायन, पिपोरा खुर्द, मातगुवां, पटपरन पुरवा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक, मुनगा इत्यादि ।	2350
4	प्राथमिक विद्यालय चौका में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा,मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि ।	20
दूसरे वर्ष से 5 वें वर्ष तक मृत पौधे का प्रतिस्थापन प्रस्तावित किया जाएगा ।			
रखरखाव एवं समस्त गतिविधियां द्वितीय वर्ष से पट्टा अवधि के अंत तक किया जाएगा ।			
वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता 1 एलपीडी/पौधे है, जो सर्दियों के मौसम में सप्ताह में दो बार और गर्मियों के मौसम में दैनिक होती है ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. **Case No. P2/613/24 Shri Ashok Kumar Agarwal, Partner, B Agarwal Stone Products, MIG -30, Nav Jeevan Vihar Post- Vindhya Nagar, Tehsil & District- Singrauli, (M.P.)- 486885, Prior Environment Clearance for, Makrohar Stone Quarry, Lease Area: 1.97 Ha. Stone – 40,094 M3/Year. at Khasra No. 1174, 1175,**

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

1176, 1179, 1181, 1182, 1183 Village - Makrohar, Tehsil Mada District Singrauli (M.P.). B2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनन्द कुमार अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स बी. अग्रवाल स्टोन प्रोड. पार्टनर श्री आनन्द कुमार अग्रवाल पता- एम.आई.जी. 30 नवजीवन विहार पोस्ट विन्धनगर जिला सिंगरौली (म.प्र.)
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्ताविस्थतपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 15 ● पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 02 ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 40
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्खनिपट्टे के दक्षिणी दिशा में 55 मीटर पर एक कच्ची रोड गुजर रही है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत मकरोहर द्वारा प्रमाणीकरण पत्र क्रमांक 99 दिनांक 30-04-2024 प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त सड़क के कच्ची होने का प्रमाणीकरण किया गया है एवं इसके अतिरिक्त सड़क की जिओ टैग वाले छायाचित्र प्रस्तुत किये गए जिसमें सड़क कच्ची होना पाया गया ।</p> <p>प्रस्तावक द्वारा इस कच्चे सड़क से 35 मीटर का सेटबैक छोड़ा गया है जो की प्रस्तुत मैप में दर्शाया गया ।</p> <p>खदान क्षेत्र के पास कुछ कच्चे घर परिलक्षित हो रहे हैं जिसके संबंध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत क्षेत्र के दक्षिण में एवं पूर्वी हिस्से में जो कच्चे घर स्थित हैं यह खदान के साइट ऑफिस है एवं पट्टे से लगभग 45 मीटर दक्षिण में, पूर्व दिशा में 55 मीटर पर एवं उत्तर दिशा में 130 मीटर पर जो घर स्थित हैं यह शासकीय भूमि पर पूर्व में बनी कच्ची झोपड़ियां जो कि पशुओं का चारा भूसा एवं कृषि सामग्री तथा मशीनरी रखने के उपयोग में लाये जाते हैं एवं इनमें किसी भी तरह की मानव बसाहट नहीं है । खदान से मानव बसाहट लगभग 250 मीटर से अधिक की दूरी पर है उत्खनिपट्टे के संचालन से ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है" ।</p>

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

	उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में लगभग 175 मीटर की दूरी पर एक पक्की रोड है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना के पृष्ठ क्रमांक 21 के अनुसार ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य प्रस्तावित किया गया है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन शीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जनसुनवाई	NA

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 30 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	खदान क्षेत्र के पश्चिम दिशा में बैरियर जोन में खनन कार्य किया गया है जिसका पुनर्भरण कर दिया जावेगा
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	वर्तमान में निर्मित नहीं है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	30 पौधे बैरियर जोन में लगाये गए .मी 7.5 व50 पौधे ग्राम वासियों को वितरित किये गए कुल =80 पौधे
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **40,094** घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.34 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम मकरोहर के विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , जंगल जलेबी , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	810
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि ।	40
3	ग्राम मकरोहर के मंदिर परिसर में वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्राम वासियो को पौधे वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार,	1510

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

		कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि ।
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>		

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

7. Case No. P-2/98/2024 Shri SURENDRA KUMAR GUPTA, MD, SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY LIMITED, 33, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR-440001. Prior Environment Clearance for Iron ore Mine in an area of 96.00 ha. (Iron ore-2,49,984 TPA & Soil-10|710 TPA) (Khasra No. forest compartment no. 307) Village- Bajna, Tehsil- Buxwaha, Dist. Chhatarpur (M.P.) TOR

प्रस्तावित आयरन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विंटिव इवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SURENDRA KUMAR GUPTA, MD, SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY LIMITED, 33, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR- 440001.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	forest compartment no. 307(फॉरेस्ट लैंड)	96.00 hectare.
स्थल	Village- Bajna, Tehsil- Buxwaha, Dist. Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	भारत सरकार, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय दिल्ली पत्र क्रमांक 4157 दिनांक 07/11/22 ।	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयरन ओर-2,49,984 टीपीए एवं स्वाईल-10,710 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार आयरन ओर-2,49,984 टीपीए एवं स्वाईल-10,710 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 105.250 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 173 दिनांक 01/02/2024 अनुसार 470 मीटर की दूरी पर नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूंकि प्रकरण मुख्य खनिज का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खदान क्षेत्र वन क्षेत्र में होने के कारण Ist stage forest clearance के लिए आवेदन किया है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है, चूंकि प्रकरण मुख्य खनिज का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
- 3- Loss of eco system wrt Flora and Aviation Fauna
- 4- protection plan of Nalla
- 5- Trees inventory with species and girth at barrier zone and reaming lease area separately

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

- 6- Compartment history
- 7- Exploration of evacuation route and if forest land is involved then permission from forest department and if private land is involved permission from Panchayat / concerned permission
- 8- Dumping details inclusive of number of dump, slopes, location and their reutilization
- 9- Wild life conservation plan and its approval from PPCF wild life with respect to schedule -1 species including vulture also
- 10- Soil and water conservation which include details of catch water /garland drain, siltation pond/tanks and its retention time at least for 02 hrs. Precaution for leaching of water and its preventive measures for probable damage to agricultural land
- 11- Soil analysis for micro organism
- 12- Drone picture/mapping of lease area
- 13- Identification of presence of rock panting in the area
- 14- Carbon Sequestration for the project
- 15- Final Forest Clearance shall be submitted with the EIA study report

8. Case No. P-2/509/24 Shri VIKRAM PATIDAR, Owner, W.No.12, 32, Shastri Nagar, Neemuch (MP) M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitt) in an area of 1.0 ha. (9000 Cum per annum) (Khasra No. 280/2, 287/1, 288/2, 288/3), Vill. Kothadi Istmurar, Teshil – Jeeran, Distt. Neemuch (M.P.) B-2

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम पाटीदार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri VIKRAM PATIDAR, Owner, W.No.12, 32, Shastri Nagar, Neemuch (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	280/2, 287/1, 288/2, 288/3 (निजी भूमि)	1.0 hectare.
स्थल	Vill. Kothadi Istmurar, Teshil – Jeeran, Distt. Neemuch	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	1372 दिनांक 06/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitt) – 9000 Cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone (Gitt) – 9000 Cum per annum ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 103 दिनांक 24/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 103 दिनांक 24/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 103 दिनांक 24/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोटड़ी इस्तमुरार जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 69 दिनांक 18/8/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling – No existing Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में 13 मीटर पर कच्ची सड़क होने के कारण 37 मीटर का सेटबैक दिया है जिसमें 0.5008 का माईनेबल एवं 0.1032 नॉन माईनेबल रहेगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 103 दिनांक 24/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Stone (Gitt) - 9000 Cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम कोठडी इस्तमुरार के शासकीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	80, 000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन 650 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (100 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	100

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

3	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No. P-2/511/24 Shri Sujit Mandloi, Partner, M/S SHRI NAGRAJ STONE CRUSHER AND SUPPLIERS, R/o- Village-Peppur, Tehsil-Gogawa, District-Khargone, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.30 ha. (8030 M3/Year) (Khasra No. 1), Village Lonara, Tehsil Bhagwanpura, District Khargone (M.P.). B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक नागराज स्टोन केशर भागीदार श्री सुजित सिंह मण्डलोई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	नागराज स्टोन केशर भागीदार श्री सुजित सिंह मण्डलोई पता- ग्राम पेपुर तहसील गोगावा जिला खरगोन (म.प्र.)
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्ताविस्थतपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-1 ● पेड़ काटे जाने हैं उनका विवरण-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 70 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सड़क से 30 मीटर का सेटबैक छोड़कर संसोधित खनन योजना ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य दर्शाते हुए प्रस्तुत करेंगे
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पीडीएफ पेज नं.-85 के सरल

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

में स्थिति	क्रमांक-27 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन शीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जनसुनवाई	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

10. Case No. P-2/512/24 Shri DWARKADHISH MEHTA, Individual Lessee, R/o- Station Road Infront of Higher secondary School Unhel, Tehsil- Nagda, District- Ujjain, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti and M-sand in an area of 4.00 ha. (Gitti - 25,000 m³/year & M-sand - 10,000 m³/year) (Khasra No. 60, 61), Village Aakyanajik, Tehsil Nagda, District Ujjain (M.P.). TOR

प्रस्तावित गिट्टी. खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

प्रकरण आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री द्वारकाधीश मेहता, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri DWARKADHISH MEHTA, Individual Lessee, R/o-Station Road Infront of Higher secondary School Unhel, Tehsil- Nagda, District-Ujjain, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	60, 61 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Aakyanajik, Tehsil Nagda, District Ujjain (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 169 दिनांक 05/01/2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 1154 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर-25,936 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है । (द्वारकाधीश)	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
केशर की स्थिति	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti - 25,000 m ³ /year & M-sand - 10,000 m ³ /year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti - 25,000 m ³ /year & M-sand - 10,000 m ³ /year	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9901 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 43.7 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9901 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9901 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान,	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आक्यानजीक जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/8/2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में पेड़ है जिसकी विस्तृत जानकारी फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा में - पक्का रोड 38 मीटर की दुरी पर है पूरब दिशा में - पक्का रोड 250 मीटर की दुरी पर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक-1.3 पर दर्ज है ।

PP submitted that we would like to address that according to the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as there is change from the existing environmental clearance because the lease gets transferred to us and the EC was in the name of previous lessee, however we have already filled application for this case as an fresh case. Kindly consider our case as fresh case and accept or case for further procedure of environmental clearance.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

11. Case No. P-2/513/24 Shri AADI GORECHA, Lessee, R/o-114, Dhan Mandi, Ratlam, District- Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti in an area of 1.298 ha. (Gitti - 700 m³/year) (Khasra No. 17/2, 17/3), Village- Rojana, Tehsil- Jaora, and District- Ratlam (M.P.) TOR

प्रस्तावित गिट्टी खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है ।

In reference of the subject matter above, here we would like to address that according to the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as there is change from the existing environmental clearance because the lease gets transferred to us and the EC was in the name of previous lessee, however

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

we have already filled application for this case as an fresh case. Kindly consider our case as fresh case and accept or case for further procedure of environmental clearance.

प्रकरण आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri AADI GORECHA, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri AADI GORECHA, Lessee, R/o-114, Dhan Mandi, Ratlam, District- Ratlam, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	17/2, 17/3 (Pvt. Land)	1.298 hectare.
स्थल	Village- Rojana, Tehsil- Jaora, and District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 778 दिनांक 03/11/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
टॉर	सेक की बैठक दिनांक ----- को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक ----- दिनांक ----- एवं पत्र क्रमांक -----दिनांक ----- के द्वारा ----- के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 991 दिनांक 28/12/2017 के द्वारा पत्थर- 9700 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है । (आकाश दसेड़ा)	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
लीज क्षेत्र में केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti - 700 cubic meters per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Gitti - 700 cubic meters per year घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 39 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.096 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-..... श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 39 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 39 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रोजाना जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 31/5/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 2 पेड़ है जिसकी जानकारी फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा में हॉल रोड 10 मीटर की दूरी पर है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-03 के सरल क्रमांक-17 पर दर्ज है ।

PP submitted that we would like to address that according to the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as there is change from the existing environmental clearance because the lease gets transferred to us and the EC was in the name of previous lessee, however we have already filled application for this case as an fresh case. Kindly consider our case as fresh case and accept or case for further procedure of environmental clearance.

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
11. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
12. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

12. Case No. P-2/516/24 Shri JAY SURYA, Lessee, H.NO.306/2, Badnawar, Dhar. Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 4.0 ha. (Murrum – 5400 M3/Year) (Khasra No. 607), Vill. ORDI, Teshil – Badnagar, Distt. Ujjain (M.P.) B-2

प्रस्तावित मुरम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जय सूर्या, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri JAY SURYA, Lessee, H.NO.306/2, Badnawar, Dhar

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

परियोजना का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	607 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 4.0 hectare.
स्थल	Vill. ORDI , Teshil – Badnagar, Distt. Ujjain
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 12629 दिनांक 21/9/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum – 5400 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Murrum – 5400 cum per annum
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10497 दिनांक 21/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10497 दिनांक 21/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10497 दिनांक 21/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ओरडी जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 20/3/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	tree existing -19 Tree Felling – No faling tree परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबैक देने के बाद कुल माइनेबल एरिया 0.5012 हे. रहेगा एवं नॉन माइनेबल 0.2186 रहेगा ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 15 मीटर पर पक्का ढाचा बना हुआ है । उत्तर-पूर्व दिशा— 30 मीटर पर मंदिर बना हुआ है दक्षिण पूर्व दिशा — 95 मीटर कच्ची संड़क है ।
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Murrum – 5400 cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रू. 09.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम ओरडी के एकीकृत शासकीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी ।	50, 000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन में 400 मीटर की लम्बाई पर 2 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	300

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (100 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	100
3	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P-2/514/24 Shri SUSHIL PATHAK, OIC- MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय कटनी, MPSMCL, Near star Recovery home hospital, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 2.450 ha. (23520 cum per annum) (Khasra No. 01) Village- Kachhargaon Chhota, Tehsil- Dheemarkheda, District- Katni, Madhya Pradesh.

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो बेलकुड नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील पाठक, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUSHIL PATHAK, OIC- MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय कटनी, MPSMCL, Near star Recovery home hospital, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.450 hectare.
स्थल	Village- Kachhargaon Chhota, Tehsil- Dheemarkheda, District- Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	वर्षों के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-23,520 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-23,520 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 265 दिनांक 31/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 265 दिनांक 31/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 265 दिनांक 31/01/24 अनुसार 200 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, लगभग 500 मीटर शैक्षणिक संस्था, 200 मीटर मीटर की दूरी पर जलीय निकाय/नाला, 300 मीटर की दूरी पर तालाब, 200 मीटर की दूरी नहर, 10 मीटर की दूरी पर कच्चा ग्रामीण मार्ग एवं लगभग 150 मीटर की दूरी पर पक्का ग्रामीण मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कछारगाँव छोटा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 17/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा-
	दक्षिण दिशा-
	पूर्व दिशा-
	पश्चिम दिशा-
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-28 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

14. Case No. P-2/517/24 CHANDAN CHAUDHARY, Lessee, Pali Road Ward No. 10, Near Canal, Sheopur, Distt. – Sheopur, 476337. Prior Environment Clearance for Nagda Boulder, Gitti & M-sand Quarry of 1.80 Hectare Area, Khasra No. - 308 in Village – Nagda, Tehsil – Sheopur, District- Sheopur (M.P.) (Maximum Production – 12,001 Cubic Meter) (Boulder-3001, Gitti- 6,000 m3 & M-Sand - 3,000 m3). B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री चन्दन सिंह चौधरी आ. श्री भंवर सिंह चौधरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री चन्दन सिंह चौधरी आ. श्री भंवर सिंह चौधरी वार्ड नं. 10 पाली रोड श्योपुर (म.प्र.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	308, रकबा- 1.800 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लैंड) नोइयत- कास्त
स्थल	ग्राम . नागदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक क. खनि/3-6/क्यू.एल.58/23/11637, दिनांक 09/10/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-12,001 (गिट्टी – 6,000, एम सेण्ड – 3,000 एवं बोल्टर – 3001) घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 12,001 (गिट्टी – 6,000, एम सेण्ड – 3,000 एवं बोल्टर – 3001) घनमीटर/वर्ष
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2078 दिनांक 02/02/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है,
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

की अनापत्ति	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1610 दिनांक 07/11/2023 अनुसार 10 कि. मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1610 दिनांक 07/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है। लगभग 200 मी. दूर नहर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नागदा जिला श्यापुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02/10/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण – शून्य ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– उत्तर पूर्व दिशा में नहर 150 मी. पर है। मानव बसाहट 230 मी. पर है।
	दक्षिण दिशा– नहीं हैं।
	पूर्व दिशा– नहीं हैं।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1610 दिनांक 07/11/2023 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा का नाम सूची में जोड़ा जाकर अद्यतन करा लिया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूंकि एक कच्चा रास्ता लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। अतः 50 मी. तक गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाकर संशोधित सरफेस मैप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
3. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।
5. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
6. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता — पत्थर—12,001 (गिट्टी — 6,000, एम सेण्ड — 3,000 एवं बोल्टर — 3001) घनमीटर/वर्ष
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.27 लाख प्रति वर्ष।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

12.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
शासकीय हाईस्कूल नागदा में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	60,000

उपरोक्त राशि रू. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, कुसुम, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	नागदा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. P-2/486 Shri Anand Sharma, Project Proponent, TEMPLE CAMPUS, DUMARIA, TEHSIL RUPWASHI DISTRICT BHARATPUR (Raj.), 484660, Prior Environment Clearance for Banka Stone Mine Survey No- 15, 371/1(P), LEASE AREA - 1.700HA. Stone – 25000 M3/Year. VILL.-BANKA, TEH-CHANDIA, DISTRICT- UMARIA, (M.P.), ToR Case.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद भार्मा पिता श्री आर.डी. भार्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार आशीष मनी त्रिपाठी/मेसर्स ए.जी.एस एनवायरमेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री आनंद भार्मा, पिता श्री आर.डी. भार्मा पता – टेम्पस डुमरिया, तहसील रूपवास, जिला – भरतपुर,

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

	(राजस्थान)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 315, 371/1 (भाग), क्षेत्रफल – 1.70 हे. (सरकारी भूमी)
स्थल	ग्राम – बांका, तहसील – चंदिया, जिला – उमरिया, म.प्र.
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1299, दिनांक 02/07/2021 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लारिस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर	लागू नहीं ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 25,000 धनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 25,000 धनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 16/08/2021 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत हैं, जिसका रकबा 4.151 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 5.851 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 16/08/2021 के अनुसार आवेदित स्थल बांधवगढ टाइगर रिजर्व की कोर सीमा से 3.200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 16/08/2021 के अनुसार 500 मीटर के अंदर मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/बांध/स्टॉप डैम/नहर/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बांका जनपद पंचायत करकेली जिला उमरिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 05/12/2020 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में 02 नीम के वृक्ष स्थित है। ● 01 पेड़ खनन क्षेत्र में स्थित है जिन्हे स्वीकृती के उपरांत उखाड़ा जावेगा। ● 01 उखाड़े गये पेड़ के एवज में 10 वृक्षों बैरियर क्षेत्र में लगाये जायेगे। ● 01 पेड़ बैरियर क्षेत्र में है, जिसे सुरक्षित रखा जावेगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>दक्षिण दिशा में कच्चा रोड 35 मीटर दूरी पर स्थित है।</p> <p>पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग – 43, 5.00 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।</p> <p>उत्तर- पूर्व दिशा में राजकीय राजमार्ग- 11, 9.00 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।</p> <p>दक्षिण- पश्चिम दिशा में 145 मीटर दूरी पर छोटा तालाब स्थित है।</p> <p>पूर्व दिशा में 770 मीटर दूरी पर एवं उत्तर- पश्चिम दिशा में 370 मीटर दूरी पर मानव वसाहत स्थित है।</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के पत्र क्रमांक 1835 दिनांक 07/09/2021 के अनुसार उपरोक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला उमरिया में जोड़ लिया जावेगा।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदे । की 747वीं बैठक दिनांक 02/03/24 (प्रकरण में P2/486/2024 – जारी पत्र क्रमांक 1702 दिनांक 16/08/21) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन गीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु टॉर सिया को अनु ासित किया जाये।</p>

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पूर्व दिशा में एक पक्की रोड़ एवं दक्षिण दिशा में आबादी है, अतः उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा। **समिति द्वारा नॉन ब्लास्टिंग करने पर उत्पादन क्षमता को देखते हुये माईनिंग अधिकारी से स्पष्ट अभिगत प्राप्त करने हेतु प्राप्त अभिमत को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।**

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5.
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर x 01 मीटर x 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें ।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें ।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

16. Case No. P-2/518/24 Shri SHIVLAL ADIWASI, Proponent, Shahgarh Dist. Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.700 ha. (10,260 cum per annum) (Khasra No. 40 Part) Village-Jasoda, Tehsil –Shahgarh, District-Sagar (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिवलाल आदिवासी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मेसर्स AGS Environmental Services Pvt. Ltd., Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SHIVLAL ADIWASI, Proponent, Shahgarh Dist. Sagar (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	40 Part, (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.700 hectare.
स्थल	Village-Jasoda, Tehsil –Shahgarh, District-Sagar (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 121110 दिनांक 08/09/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,260 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-10,260 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 192 दिनांक 02/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.40 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 192 दिनांक 02/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 192 दिनांक 02/11/23 अनुसार 300 मीटर की दूरी पर मानव बस्ती, 500 मीटर की दूरी पर शासकीय

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	मिडिल स्कूल एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर शाहगढ़-बरायठा मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जासौड़ा जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 15/08/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीजक्षेत्र में कड़पेड़ उपस्थित हैं जिन्हें काटानहीं जाएगा ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- नदी लगभग 415 मीटर दूरी पर हैं
	दक्षिण दिशा- पक्का रोड लगभग 262 मीटर की दूरी पर हैं ।
	पूर्व दिशा- पक्का रोड लगभग 200 मीटर की दूरी पर हैं ।
	पश्चिम दिशा- नदी लगभग 375 मीटर दूरी पर हैं ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 514 दिनांक 10/11/23 अनुसार जब डीएसआर अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्य प्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 10,260 घन मीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में के पीटल राशि रु. 8.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशीपालक शिक्षक संघ समिति ग्राम जासौड़ा के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी ।	1,00,000/-

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

--	--

4. निम्नानुसार वृक्षारोपणकार्यक्रमअनुसार(सतत् सिंचाई, 5 वर्षतकमृतपौधोंकाबदलावतथा खननअवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षोंका वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपणहेतुप्रस्तावितस्थान		पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें		चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	परिवहनमार्गमें(न्यूनतमऊँचाई मीटरट्री-गार्ड के साथ)	1.5	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	ग्रामवासियोंमेंवितरणहेतु		सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपणप्रथमवर्षमेंकियाजाये एवं लीज अवधि तक उन पौधोंका रख-रखाव / मृतपौधोंकाबदलाव खनन अवधि तककियाजाये । गरलेण्डड्रेनतथासेटलिंगटैंक के बंडपरस्थानीय बीजबोबाईकरउनकासंरक्षणकियाजाना । परियोजनाप्रस्तावकग्रामीणोंमेंपौधोंकावितरण के समय गाँवकानाम, लाभांवितव्यक्तिकानाम एवंप्रजातिकाविवरणदेतेहुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनप्रतिवेदनमें शामिलकरेंगे ।</p>				

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No. P-2/519/2024 Shri Anshul Khare, Owner, Indrapuri Colony, Tikamgarh (M.P.) Prior Environment Clearance for Murum Mine in an area of 2.914 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 164/2 &164/4) Village, Uttampura Tehsil & District Tikamgarh, (M.P.). B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अंशुल खरे, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Anshul Khare, Owner, Indrapuri Colony, Tikamgarh (M.P.)

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	164/2 & 164/4 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं भू-स्वामी है)	2.914 hectare.
स्थल	Village, Uttampura Tehsil & District Tikamgarh, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 4558 दिनांक 07/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murum –40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murum –40,000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 536 दिनांक 30/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.914 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 536 दिनांक 30/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 536 दिनांक 30/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उत्तमपुरा जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling – खदान में स्थित कुल पेड़ 18 जिनमें से 10 पेड़ काटे जायेंगे उसके एवज 100 पेड़ नीम के लगाये जायेंगे । Additional tree to be planted -	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—
	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 536 दिनांक 30/06/23 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Murum –40,000 घनमीटर/वर्ष
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.65 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम पंचायत उत्तमपुरा क शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधान अध्यापक के सुझाव अनुसार	40,000

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

बच्चों के बैठने हेतु 30 बेंच की व्यवस्था एवं बच्चों के खेलने हेतु खेल सामग्री का वितरण किया जावे	
ग्राम पंचायत उत्तमपुरा के कैलाश सागर तालाब के आसपास गहरीकरण ।	60,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (1 मीटर उचाई के पौधेद्ध)	800
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, अचार. करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत उत्तमपुरा)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1700
4	ग्राम पंचायत उत्तमपुरा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, खमेर, मोलश्री, सप्तपर्णी, आँवला, पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. 9411/2022 M/s. Basa Buildcon, Partner Mr Abul Vakar, G-9, Jhumera Complex, Near Hotel Manal, A.B. Road, Vishwas Banjari, Post Bhatkhedi, Tehsil Mahow, Dist. Indore (MP) Prior Environment Clearance for Stone Gitti in an area of 3.00 ha. (Stone Gitti – 45,000 M3/Year) (Khasra No. 753, 1021/1), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) EIA

प्रस्तावित गिट्टी खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/5/2024 को परियोजना प्रस्तावक **M/s. Basa Buildcon**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Mr Abul Vakar, Partner, G-9, Jhumera Complex, Near Hotel Manal, A.B. Road, Vishwas Banjari, Post Bhatkhedi, Tehsil Mahow, Dist. Indore(MP)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	753, 1021/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) 3.00 hectare.
स्थल	Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 151 दिनांक 25/01/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
टॉर	सेक की 607बैठक दिनांक 21/11/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2378 दिनांक 19/12/22 द्वारा Stone Gitti – 50000 cum per annum के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone Gitti – 50000 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone Gitti – 50000 cum per annum
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 30/9/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 28.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 30/9/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1328 दिनांक 30/9/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगरपालिका पीथमपुर जिला धार के पत्र क्रमांक 5204 दिनांक 04/8/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	tree existing - Yes Tree Felling - No faling tree परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माइनिंग लीज एरिया के समीपस्थ दक्षिण स्थित खदान में 1000 पेड़ लगाये हैं ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-19 के सरल क्रमांक-30 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **Stone Gitti – 50000 cum per annum**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.53 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम खेडा में आंगनवाड़ी केन्द्र के अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 400 मीटर की लम्बाई पर 2 लाइनों में वृक्षारोपण किया जायेगा)	सीताफल, नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु, आदि।	300
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (800 मीटर) के दोनों ओर 2 लाइनों में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, करंज, कदम, चिरोल, आदि	800

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

3	आस पास के ग्रामीण किसानों को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	2500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. P-2/487 Shri DHIRENDRA MISHRA, House no.-20, chhewalan gram chimadhana teh deori, Chhewla, Deori, Sagar, Madhya Pradesh – 470226. Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand and Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone 43587 m3/Year, M-Sand 53,273 m3/Year and Murram 6,777 m3/Year (Khasra No. 109/1), Village- Chevela , Tehsil- Deori, District- Sagar (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंडायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Dheerendra Krmar Mishra S/o Shri Mahendra Kumar Mishra R/o- Jhanku Ward, Tehsil- Deori, District – Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	109/1 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.0 hectare.
स्थल	Village- Chevela, Tehsil - Deori, District - Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 971 दिनांक 28/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

ब्रेकर	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल उत्पादन –1,03,637 घनमीटर/वर्ष जिसमें पत्थर – 43,587 घनमीटर/वर्ष , एम. सेण्ड-53,273 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम-6777 घनमीटर/वर्ष हैं ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 08/09/2023. अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चीमाढ़ाना जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 17/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में कोई पेड़ उपस्थित नहीं हैं ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— बरसाती नाला लगभग खदान क्षेत्र से लगा हुआ है जिस 50 मीटर का सेटबेक छोड़ा गया है।
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 1,03,637 घनमीटर/वर्ष जिसमें पत्थर – 43,587 घनमीटर/वर्ष , एम. सेण्ड—53,273 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम—6777 घनमीटर/वर्ष हैं ।
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
6. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
7. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्तरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.58 लाख प्रति वर्ष ।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 2,00,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम छेवला के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की	2,00,000/-

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

जावेगी।	
---------	--

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
3	ग्रामवासियों में वितरण हेत	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. 9981/23 Asha Dube, Partner, M/s MAA SHARDA STONE CRUSHER, Ward number-25, Awanti Bai College ke pass, Chhatarpur, madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 367) Village-Bedri, Tehsil- Rajnagar, Distt.-Chhatarpur (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मां शारदा स्टोन क्रेशर (पार्टनर-श्रीमती आशा

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

दूबे)(ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Bedri Stone Mine of M/s Maa Sharda Stone Crusher (Partner- Smt Asha Dubey), R/o- Opposite Maharaja College, Near Avantibai College, District- Chhatarpur (Madhya Pradesh)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	367 4.0hectare.(सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)
स्थल	Village-Bedri, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur, State-Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	Directorate of Geology & Mining, Bhopal, Madhya Pradesh vide order No- Kramank 1335/ khani/ Q.L./N.Kr.-64/2022, Bhopal, dated-03/02/2023.
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Office of the Collector DEIAA District- Chhatarpur (M.P.) Kr 1397/DEIAA/2016 Chhatarpur Date- 24.09.2016
टॉर	सेक की 657वीं बैठक दिनांक 11.07.2023 को अनु रिसित, सिया के पत्र क्रमांक 1098/SEIAA/2023दिनांक 10.08.2023 के द्वारा पत्थर 50,000 cu.m./ year के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 50,000 cu.m./year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 50,000 cu.m./year है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 889/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-28/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 5 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.00हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 889/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-28/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.)के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 889/खनिज/2023 छतरपुर

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	दिनांक-28/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ श्मशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीणकच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत बेडरी , जिला- छतरपुर (म.प्र.) प्रस्ताव क्रमांक 08 दिनांक- 15/08/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्ताविस्थत पर वृक्षों की वर्तमानस्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-कोई पेड़ नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति; खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटको (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें ।	उत्तर पूर्व दिशा मे-आबादी 426 मी. दक्षिण पूर्व दिशा मे- कच्चा रोड- 222 मी. दक्षिण पश्चिम दिशा मे-आबादी 880 मी. उत्तर दिशा में-ग्रामीण पक्का रोड- 426 मी. दक्षिण दिशा - कच्चा रोड 32 मी. तथा बीएल 2 से सटा हुआ 50 मीटर का सेटबैक देते हुए पुनरीक्षित सरफेस में पप्रस्तुत किया गया है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर(म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 786/खनिज/2023 छतरपुर दिनांक-19/04/2023 उक्त खदान अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दिया जायेगा।
जन सुनवाई	<ul style="list-style-type: none"> कोई परेशानी नहीं हैं। सहमत हैं। पम्प हाउस और पानी की व्यवस्था नहीं है। परियोजना से सहमत हैं। ऐडी एम के द्वारा कहा गया की 10,000 रुपये की धनराशि पानी के लिए समरसेबल के मरम्मत के लिए आवंटित किया जाये। 15,000 रुपये बेडरी गाँव के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी) रामपुर पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण <p>समिति द्वाराप्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृतचर्चा की गई एवं आव यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।</p>

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अवलोकित नहीं हुई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	खदान क्षेत्र में पेड़ नहीं है परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि केशर क्षेत्र में लगभग .200 पेड़ लगाये गये एवं 1200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	नहीं है

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 50,000 cu.m./year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.74 लाख एवं रिकरिंगरा राशि रु. 5.17 लाख प्रतिवर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरु. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
बेडरी गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में छात्र-छात्राओं के तकनीकी शिक्षा के उन्नयन हेतु एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर के साथ एक कुर्सी और एक मेज प्रथम वर्ष में दिया जायेगा दिया जायेगा।	50,000 / -
बेडरी गांव के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रामपुरा में प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	60,000 / -

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पम्प हाउस और पानी की व्यवस्था के लिए और समरसेबल के मरम्मत के लिए धनराशि प्रथम वर्ष में ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जायेगा	40,000/-
केन घड़ियाल के लिए	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4820 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

5.

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	850
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरोल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
3	बेडरी, रामपुरा, राजनगर, भैरा, झमटुली, ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक, मुनगा इत्यादि।	3750
4	प्राथमिक विद्यालय बेडरी	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा,मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
दूसरे वर्ष से 5 वें वर्ष तक मृत पौधे का प्रतिस्थापन प्रस्तावित किया जाएगा।			
रखरखाव एवं समस्त गतिविधियां द्वितीय वर्ष से पट्टा अवधि के अंत तक किया जाएगा।			
वृक्षारोपण के लिए कुल पानी की आवश्यकता 1 एलपीडी/पौधे है, जो सर्दियों के मौसम में सप्ताह में दो बार और गर्मियों के मौसम में दैनिक होती है।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

21. Case No.9611/2023 M/s Maa Rewa Enterprises Shri DEEPAK AGRAWAL, Ward No. 11, Kasturva Ward, Teh Pipariya, Pipariya, Hoshangabad, M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 02.00 ha. (Stone 18,998.1 m3/Year) (Khasra No. 2/1/1 and 2/2) Gram Pipaliyagoli, Tehsil – Goharganj, Distt. Raisen (M.P.) B-1

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 01/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	दीपक अग्रवाल निवासी कस्तूरबा वार्ड, पिपरिया तहसील- पिपरिया, जिला- होसनगाबाद मध्य प्रदेश
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 2/1/1, 2/2(प्राइवेट क्षेत्रफल-2.0 हेक्टेयर -नॉनफॉरेस्ट लैंड)
स्थल	ग्राम –पिपलियागोली तहसील-गौहरगंज जिला –रायसेन राज्य मध्य प्रदेश।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक खनिज/2727/खनिज/2020 रायसेन दिनांक- 23.11.2020 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	--
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-19,998 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 19,998 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1164/खनिज/2022 रायसेन दिनांक- 14.10.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदानें अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ओबेदुल्लागंज के एकल

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

अनापत्ति	प्रमाण—पत्र क्रमांकमा। चि./20/795 ओबेदुल्लागंज दिनांक- 16.03.2020 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांकक्यू1164/खनिज/2022 रायसेन दिनांक- 14.10.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नालानहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पिपलियागोली जिला रायसेन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.01.2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र मेंपूर्व से स्थापित है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बतायाकिइस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे संलग्न किया जाएगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 19,998 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 8.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-
- 4.

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
Solar Led Bulb (Rated Power 5 W)	30,000
For the Maintenance in the Primary School Pipaliyagoli	70,000
Total	1,00,000

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	165
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपणप्रथम वर्ष मेंकियाजायें एवं लीज अवधि तक उन पौधोंका रख-रखाव / मृतपौधोंकाबदलाव खनन अवधि तक कियाजाये । गरलेण्डड्रेनतथासेटलिंगटैंक के बंड पर स्थानीय बीजबोबाईकरउनकासंरक्षणकियाजाना । परियोजना प्रस्तावकग्रामीणोंमेंपौधोंकावितरण के समय गाँवकानाम, लाभांवितव्यक्तिकानाम एवंप्रजातिकाविवरणदेतेहुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनप्रतिवेदन में शामिलकरेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P-2/520/24 Shri ANMEET TREHAN, Lessee, R/o- 6/1 Kantaphod, Tehsil -Satwas, District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (Stone – 5000 M3/Year) (Khasra No. 41/2, 243/1 & 243/2), Vill.- Badhawa, Tehsil-Satwas, District- Dewas (M.P.)

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri ANMEET TREHAN**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ANMEET TREHAN, Lessee, R/o- 6/1 Kantaphod, Tehsil - Satwas, District- Dewas, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	41/2, 243/1 & 243/2 (Pvt. Land)	1.00 hectare.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

स्थल	Vill.-Badhawa, Tehsil-Satwas, District- Dewas (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 16115 दिनांक 24/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Blasting not applicable Mining Plan page no. 24
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 5000 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Stone – 5000 Cubic meter per year
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 257 दिनांक 30/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 257 दिनांक 30/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 257 दिनांक 30/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बधावा जिला देवास के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 15/10/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted - ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-2

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में पूर्व में संचालित खदान परिलक्षित हो रही है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह खदान पूर्व में संचालित थी जिसके अवधि 06.05.2020 को समाप्त हो चुकी है जिसका उत्खनिपट्टा अनुबंध भी प्रस्तुत किया गया इसके अतिरिक्त प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के पश्चिम दिशा में एवं उत्तर पूर्वी दिशा में 2 अन्य गड्डे दिखाई देते हैं जो की किसानों द्वारा स्वयं की निजी भूमि पर पानी एकत्रित करने के लिए खोदे गए गड्डे हैं । प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के दक्षिणी दिशा में परिलक्षित हो रहे शेड खदान के साइट ऑफिस एवं स्टोर रूम्स हैं
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण देवास जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन-5,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6,21,400लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1,88,500लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बड़वाहामें ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी ।	40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:-आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , संतरा, जामफल, आदि	374

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादि।	100
3	ग्राम बड़वाहा में स्थित मंदिर परिसर में 50 पौधे रोपे जाएंगे।	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50
4	ग्राम वासियो को पौधे वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	676
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

23. Case No.P-2/521/24 Shri DEEPENDRA RAJPUT, Owner, Surya Nagar, Shamshabad, Vidisha M.P. Prior Environment Clearance for Murrum in an area of 4.0 ha. (Murrum - 15000 M3/Year) (Khasra No. 255/2/2), Vill. Neelbad, Tehsil – Huzur, Distt. Bhopal B-2

उपरोक्त प्रकरण सेक की पूर्व बैठक में समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जा चुकी है।

24. Case No. P-2/489 Shri Karthikeyan V, Deputy Executive Director, M/s DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED, P.O. Kallakudi, TIRUCHIRAPPALLI, TAMIL NADU. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 121.1 ha. Limestone- 0.46 मिलियन टन/वर्ष, Soil: 0.1 मिलियन टन/वर्ष, OB: 0.36 मिलियन टन/वर्ष, Mineral Reject: 0.1 मिलियन टन/वर्ष) (Khasra No. Village Badarkha: 200,201/1,201/2,202,203,206,207, & Others Village Bigoudi: 90/1,90/2,91/1/1,91/1/2, & Others Village SannehiSikti: 101/1/k,101/1/kh,101/2, & Others Villages: Badarkha, Bigodi and Sannehi Sikti Tehsil: Amarpatan, District: Satna (M.P.)EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Karthikeyan V**, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विनय खण्डेलवाल, मेसर्स जे.एम. इवायरोनेट प्रा.लि., गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---------------------------------------------

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Karthikeyan V, Deputy Executive Director, M/s DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED, P.O. Kallakudi, TIRUCHIRAPPALLI, TAMIL NADU.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	Village Badarkha: 200,201/1,201/2,202,203,206,207, & Others Village Bigoudi: 90/1,90/2,91/1/1,91/1/2, & Others Village SannehiSigt: 101/1/k,101/1/kh,101/2, & Others(सरकारी+निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	121.1 hec.
स्थल	Villages: Badarkha, Bigodi and Sannehi Sigt Tehsil: Amarpatan, District: Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र एफ-3-10/2020/12/1, दिनांक 17/09/2020 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
टॉर	भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F. No. J-11015/75/2021-IA.II(M)दिनांक 23/12/21 द्वारा Limestone- 0.46 मिलियन टन/वर्ष, Soil: 0.1 मिलियन टन/वर्ष, OB: 0.36मिलियन टन/वर्ष, Mineral Reject: 0.1मिलियन टन/वर्षके लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone- 0.46मिलियन टन/वर्ष, Soil: 0.1मिलियन टन/वर्ष, OB: 0.36मिलियन टन/वर्ष, Mineral Reject: 0.1मिलियन टन/वर्षहेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone- 0.46मिलियन टन/वर्ष, Soil: 0.1मिलियन टन/वर्ष, OB: 0.36 मिलियन टन/वर्ष, Mineral Reject: 0.1मिलियन टन/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 129.194 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 149 दिनांक 01/02/24 अनुसार आ.नं. 83 म.प्र. शासन बसाहट है तथा ग्राम पंचायत पशु औषधालय, विद्यालय, हास्पिटल, बरात घर निर्मित है, आराजी नं. 86/2/1 रकबा 20.00 एकड एक शासन में पूर्व से सोनेन्द्र सिं हके नाम लीज हेतु स्वीकृत है। बसाहट, नहर बेला वितरण	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	माइनर से प्रमाणित भूमियां है । ग्राम सन्नेही सिगटी में आबादी की बसाहट, स्कूल है । आर.सी.सी.पी.एल. मैहर को चूनापत्थर की लीज स्वीकृत है (आ.नं. 01 से 100 तक) ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सन्नेहीबड़ा जिला सतना पत्र दिनांक 25/05/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में लगभग 85 पेड़ हैं जो खनन के दौरान काटे जायेंगे जिसके एवज में कुल 850 पेड़ लगाये जावेंगे।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा—पक्का रोड़ लगभग 50 मी. की दूरी पर
	दक्षिण दिशा— नाला लगभग 50 मी. की दूरी पर
	पूर्व दिशा— आबादी लगभग 150 मी. की दूरी पर
	पश्चिम दिशा—लीज क्षेत्र से लगा हुआ तालाब
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

During discussion PP submitted that Proposed Badarkha Limestone Block (Auctioned Block) over an area of 121.10 Ha with Limestone Production Capacity: 0.46 Million TPA, Soil: 0.1 Million TPA, OB: 0.36 Million TPA, Mineral Reject: 0.1 Million TPA (Total Excavation: 1.02 Million TPA) along with 200 TPH Crusher located at Villages: Badarkha, Bigodi and Sannehi Sigtı Tehsil: Amarpatan, District: Satna, Madhya Pradesh. Peak limestone production is proposed to be 1917 tonnes per day (Normative 1534 TPD) & Others (Soil, Over Burden & Mineral Reject) will be 2334 tonnes per day (Normative 1866 TPD); thus, total handling will be 4251 tonnes per day (Normative 3400 TPD), within the proposed Annual production limit.

PP further submitted that ToR issued by MoEF&CC, New Delhi vide letter no. J-11015/75/2021-IA.II(M) dated 23.12.2021 for carrying out the Environmental Impact Assessment (EIA) study for the Badarkha Limestone Block (Auctioned Block). The Propsoal was transferred from MoEF&CC to SEIAA on 17.04.2023. Point Wise ToR was discussed including the specific points.

During the presentation committee discussed about the measures for Nallah protection and habitation. PP submitted that the nallah along with its statutory barrier have been curtailed while granting the LOI of the mining lease boundary. PP stated that :

- Nallahs/Natural drains/river including safety barrier have already been excluded from the LOI area during auction.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

- Mining activities will not be undertaken in 50 m safety barrier from nallah/river. As both nallahs with safety zone have already been curtailed & Bihar River is flowing at ~50m distance from LOI boundary. Hence, nearby water bodies will not be impacted during course of mining. There will be no change in the natural drainage pattern of the buffer zone due to mining.
- No erosion wash off will be directly allowed to go to the Natural System.
- The retaining wall (1.5m high with 1.0m visible and 1.5m width) and garland drains (1.0 m deep and 1.0 m wide) along with settling tanks (9 nos.) & siltation ponds (2 nos.) have been proposed to be constructed around the working mine pits and at base of waste dump to check and arrest flow of loose sediments with surface run offs.
- Water will be diverted to sumps through sedimentation ponds/settling tanks.
- Whenever during monsoon or post monsoon time, if any excess water needs to be discharged, it will be passed through sedimentation pond / check dams / filters prior to joining natural streams or nallahs.
- Catch drains and siltation ponds will also be constructed within mine lease to check flow of surface runoff as well as to prevent siltation of nearby area.
- End use of this water will not be disturbed.
- Regular monitoring of surface water quality (pre-monsoon and post monsoon) will be carried out.
- Greenbelt will also be developed in safety zone of 7.5 m along ML boundary which will arrest surface runoff. 4.04 ha area will be covered under greenbelt covering 7.5m of mine boundary of Block-1 all the block shall be fenced by the warbed wire fencing.
- No waste water will be discharged outside the mine boundary.

There is pond adjoining to the lease boundary in West Direction, PP submitted that pond is outside the lease area and plantation has been proposed in 50meters safety barrier within the ML Boundary, towards the pond. The Pond is adjoining the non-mineralized area and deepening the pond so that through out of year water shall remain in pond for public use.

PP submitted that for Protection of Nearby Habitation, PP has submitted that Mining will be carried out as per the provisions outlined in mining plan approved by Indian Bureau of Mines (IBM) as well as by abiding to the guidelines of Director General

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

Mines Safety (DGMS) and conditions mentioned in DGMS guideline will be followed strictly.

- Rock breakers will be used to avoid secondary blasting and for primary breaking in area near to habitation.
- Biological clock of the villagers will not be disturbed by orienting the floodlights/masks away from the villages and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day/night hours so that it will not affect the health in villages located close to mining operations. Regular health surveillance will be undertaken.
- All measures will be adopted to control fugitive dust emission during mining operation and to ensure no impact on nearby habitation.
- Main haulage road in the mine shall be provided with permanent water sprinklers and other roads shall be regularly wetted with water tankers fitted with sprinklers. Crusher and material transfer points shall invariably be provided with Bag filters and or dry fogging system.
- Regular ambient air quality monitoring and vibration monitoring will be carried out.
- 3 tier Plantation within ML towards the habitation is proposed, which will act as barrier.

On the greenbelt development and compensatory plantation PP submitted that Greenbelt along the 7.5m mine periphery of working block of mine & plantation along the safety barrier covering 6.24 ha area will be completed within 3 years from the start of the mining operation.

- Plantation on OB dump, along haul road etc. covering 5.92 ha area will be developed till conceptual stage. Plantation on backfilled area (19.451 ha) and on top most 2 benches (2.88 ha) will be developed at conceptual stage. Total area to be covered under green belt/ plantation will be ~34.491 ha at conceptual stage including backfilled area.
-
- The height of seedling not less than 10 feet, shall be selected.
- Plantation will be managed by regular watering, applying manure, weeding and proper protection to maintain 90% survival rate.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

- The casualties of each year shall be replaced every year with new saplings and such number of saplings will not be counted in the number of saplings proposed to plant in that year. Total budget estimated for the greenbelt/plantation is Rs. 1.72 crore (Capital Cost: Rs. 75.2 Lakh & Recurring Cost: Rs. 9.98 Lakh). During the entire mining operation approx. 85 nos. of trees will be cut.
- The company will try to transplant the same trees within the Non-mining Zone within the mine lease to the extent feasible; however, to compensate the nos. of felled down trees the company has committed to plant 850 saplings @ 10 times.
- Apart from this, 1500 saplings will be distributed in Villages Badarkha, Bigodi & Sannehi Sigt (500 sapling in each Village) for plantation outside the mine lease along the nallah & community land in consultation with the Local Administration & Gram Panchayat.

On the Impact on Ground Water due to the proposed mining, PP elaborated that based on Detailed Hydrogeological study carried out, DCBL elaborated that the open cast mining will be carried out below local water level conditions.

- Under these circumstances groundwater will accumulate in the mine pit. The quantity of the groundwater that will accumulate in the pit bottom is governed by the aquifer properties and their lateral extent.
- The total water accumulated in the mine sump after Recharge & Evaporation loss (50%) will be 240 KLD by the end of 5th Year, which will be utilized by the mine to meet its requirement and remaining part will be distributed to the villagers for irrigation purposes.
- The mine seepage from working faces will be collected in sumps over lower benches and water will be pumped for its usage in mine and for community use.
- Any adverse effect on ground water regime is not envisaged in the core zone & the surrounding of core zone due to withdrawal of seepage ground water for the proposed project because area is in safe zone and pumped out water will be used for various mining activities & will be distributed to agricultural fields.
- The project area falls under “Safe” category as per the guideline of CGWA. The radius of influence calculated from the mine site is 124.17 m from the working pit in the plan period. The impact will be within the mining lease area.
- The water withdrawal due to seepage will neither decline the water level nor have any harmful impact on the water quality. Predicted Drawdown at a distance of 10m = 5.471m, Predicted Drawdown at a distance of 50m = 1.9757m, Predicted

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

Drawdown at a distance of 100m = 0.522m, Predicted Drawdown at a distance of 155.68m = 0m.

- NOC regarding ground water withdrawal (44 KLD) as well as for mine water dewatering (374 KLD) has been obtained by CGWA vide NOC No. CGWA/NOC/MIN/ORIG/2023/19194 dated 05.09.2023

On the location of crusher, based on the ToR point and considering all possibilities, DCBL has proposed the crusher in the Non-Mineralized Zone in NW side of the mine.

- Crusher will be equipped with bag filters to ensure adequate control of air borne dust.
- Construction of wind breaking walls especially at charging hopper & crushing place.
- Atomized water-mist spray arrangement at crusher hopper.
- Flexible curtains at crusher dump hopper to arrest dust while unloading of dumpers will be installed.
- Personal protective equipment's i.e. dust masks provided to mine employees.
- Plantation will be carried out around the crusher.
- Plantation has been proposed in 50 m safety barrier (3 tier) along the road and crusher away from Habitation.

Public hearing was held on 06.03.2023. Major issues of socio-economic significance were Health, Education, Drinking Water facilities, Infrastructure Development, Livelihood & Skill Development etc. The company is committed to improve physical & social infrastructure nearby area of proposed mine. the company has prepared a detailed action plan along with budgetary provisions with time frame of 3 years for implementation of issues raised during Public Hearing with a budgetary allocation of Rs. 56 Lakh and the same has been included in EMP as per MoEF&CC, OM dated 30.09.2020 & 20.10.2020. Summary of proposed activities are as follows:

- Infrastructure Development: Renovation of School building, Solar Street light,
- Boundary wall construction, Basic Infrastructure development of community places, Road repair work, Development of Park and arrangement for Swings and Open Gym.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

- Education: Computer Lab for Digital Literacy with Wi-Fi facility.
- Drinking Water: Borewells/Hand Pumps for drinking water
- Livelihood & Skill Development: Providing Vocational Trainings on improving skills for Local Youths (Motor Mechanic, Mobile Repairing, Electricians, Vehicle maintenance etc.) for development of own business for the livelihood
- Plantation in Nearby Areas: Distribution of Saplings and plantation in School/Community Land
- Healthcare Facilities: Renovation of Health Care Center & Organising Health Camps

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was **recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed Proposed Badarkha Limestone Block (Auctioned Block) over an area of 121.10 Ha with Limestone Production Capacity: 0.46 Million TPA, Soil: 0.1 Million TPA, OB: 0.36 Million TPA, Mineral Reject: 0.1 Million TPA (Total Excavation: 1.02 Million TPA) along with 200 TPH Crusher located at Villages: Badarkha, Bigodi and Sannehi Sigt Tehsil: Amarpatan, District: Satna, MP with standard conditions .**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone- 0.46मिलियन टन/वर्ष, Soil: 0.1मिलियन टन/वर्ष, OB: 0.36 मिलियन टन/वर्ष, Mineral Reject: 0.1मिलियन टन/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 255.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 45.00 लाख प्रति वर्ष ।
- 3- PP shall get the permission of tree cutting from the competent authority.
- 4- PP shall take necessary action to maintain ground water level.
- 5- PP shall construct the series of check dam to avoid the water & soil conservation work.
- 6- PP shall carry out carbon foot print analysis due to mining activities and accordingly progressive environmental management plan shall be upgraded and mechanism for carbon sequestration should be adopted.
- 7- PP shall be installed fogging machine system near the crusher unit to control fugitive dust emission.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 60.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

S. No.	Activities	Rs. in Lakh
A	Infrastructure Development	
1	Renovation of School building of Village Bigodi and developed the infrastructure.	5
2	Provide 02 Ambulance	5
3	Development of work for remote area of Satna Banka area through DFO Satna rennovation of satna	5
6	Road repair work from Turki Village to Narendra via Eda (1.0 Km)	5
7	Development of Park in Munciple area Amarpatan	2
B	Education	
8	Computer Lab for Digital Literacy (10 Nos. each in a School) with Wi-Fi facility in School of Badarkha, Bigodi & Sannehi Sigt	7.5
C	Drinking Water	
9	3 Borewells/Hand Pumps for drinking water in Villages Badarkha, Bigodi & Sannehi Sigt (Rs. 1.0 Lakh each) with water re-charges pit.	3
D	Skill Development	
10	Providing Vocational Trainings on improving skills for Local Youths (Motor Mechanic, Mobile Repairing, Electricians, Vehicle maintenance etc.) for development of own business for the livelihood.	5
E	Healthcare Facilities	
12	Renovation of Health Care Center in Badarkha Village and Provide 02 Ambulance in Amar patan and nearby PHC	20
13	Health Camps in Villages Badarkha, Bigodi & Sannehi Sigt	3
Total		60
* There may be some changes in proposed activities during execution, based on the assessment and discussion with villagers /local administration/Panchayat, etc.,		

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 95,868 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	Greenbelt along 7.5m Mine Periphery	Bargad, Amaltas, Khamer, Ashok, Neem, Karanj, Khamer, Chirol, Local Sps.	10100
2	Plantation/ regrassing on Backfilled Area	Mango, Guava, Anar, Jamun, Imli, Shisham, Chiku, Sitafal, Lemon, Kaner, Khamer, Chirol, Local Sps.	48628
3	Plantation in Safety barrier (habitation, road, OB dumping site)	Mango, Guava, Anar, Jamun, Imli, Shisham, Bel, Amaltas, Ashok	20300
4	Top Bench Plantation	Mango, Guava, Anar, Jamun, Imli, Shisham, Chiku, Sitafal, Lemon	7200
5	Distribution of Saplings in Villages Badarkha, Bigodi & Sannehi Sigt in School/Community Land	Mango, Guava, Anar, Jamun, Imli, Shisham, Chiku, Sitafal, Lemon	1500
6	Along the nallah and around stone crusher	Jamun , Kahwa, Bamboo, Chorol and Agave	8500
कुल			95868

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No. P-2/522/24 Shri Bharat Tyagi, Owner, Jetpur, Baghel, Morena Madhya Pradesh- 476221, Prior Environment Clearance for Soil Quarry with a production capacity of 2,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.0 (Pvt. Land) in Khasra No - 338,434,435,430, Village- Jaitpur, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.). B2 Case DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भरत लाल त्यागी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Bharat Lal Tyagi S/o Shri Ramjilala Tyagi R/o- Village Jaitpur, Jaura, District- Morena (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	338, 434, 435, 430 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.0 hectare.
स्थल	Village – Jaitpur, Tehsil – Jaura, District -Morena (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 16/11/2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी – 2000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 2000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 802 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 802 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 802 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जैतपुर जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 02/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ उपस्थित नहीं हैं ।	

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— पक्का रोड़ लगभग 93 मीटर की दूरी पर हैं
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड़ लगभग 90 मीटर की दूरी पर हैं
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 15 के सरल क्रमांक— 41 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

9. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता अनुसार स्वाईल 2000 घनमीटर/वर्ष ।
10. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.10 लाख प्रति वर्ष ।
11. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.54 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 54,000 की राशी पालक द्वारा ग्राम जैतपुर पंचायत के आंगनवाडी केन्द्र के खाते में विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	54,000/-

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No. P-2/488 SUMAN KALAL, Owner, Ratlam road ward no. 3 Arnod Pratapgarh Rajasthan. M.P. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Gitti – 15,000 Cum/Annum and M-Sand – 40,000 Cum/Annum) (Khasra No. 375/6), Gram – Rampuriya, Tehsil and Distt. Ratlam (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गतडिया द्वाराजारीपूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमेंआजदिनांक02/05/2024 कोपरियोजनाप्रस्तावकगोपाल चौधरी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्सजेनिथ एनवायरमेंटकंसल्टेंसी, नोएडाउत्तरप्रदेशउपस्थितहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजनाप्रस्तावक का नाम व पता	गोपाल चौधरीनिवासी गाव- अरनोद, जिला- प्रतापगढ़राजस्थान	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं. 375/6(प्राइवेट –नॉनफॉरेस्ट लैंड)	क्षेत्रफल-4०० हेक्टेयर
स्थल	ग्राम-रामपुरिया,तहसीलऔर जिला-रतलाम राज्य मध्य प्रदेश ।	
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारायसेन के पत्र क्रमांक2370/खनिज/2022-23, रतलाम दिनांक 05.10.2023 के द्वारास्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजनाअनुसारब्लास्टिंगप्रस्तावितहै ।	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	--
उत्पादन क्षमता	परियोजनाप्रस्तावक द्वारापत्थरएवं मुररूम -55,000घनमीटर/वर्ष (पत्थर -15,000 घनमीटर/वर्षऔर मुररूम - 40,000घनमीटर/वर्षहेतुआवेदनकियागयाहैऔरअनुमोदित खनन् योजनाअनुसार55,000घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलाम के एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 अनुसार500 मीटर की परिधि में01अन्य खदानेंस्वीकृतहै, परंतुवह खदानेअवधि समाप्त/निरस्तहोगईहै, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलामके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता क्षेत्र स्थितनहींहै एवं 250 मीटरमेंवन क्षेत्र स्थितनहींहै।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलारतलामके एकलप्रमाण-पत्र क्रमांक2772/खनिज/2023-24 रतलाम, दिनांक 01.12.2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहींहै ।
ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्रामपंचायतरामपुरियाजिलारतलामके ठहरावप्रस्तावदिनांक26.01.2020 अनुसारप्रस्तावितस्थलपर खनन् कार्य से पंचायतकोकोईआपत्तिनहींहै।
केशर की स्थिति	केशरलीज क्षेत्र मेंपूर्व से स्थापितहै।
प्रस्तावितखदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्टमें संलग्न किया जाएगा।

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

27. Case No. 10756/2023 M/s ISMAIL AND SONS, SALES OFFICE :-Near Mission Chock , KATNI (M.P.) PIN Code :- 483501. Prior Environment Clearance for TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE Mine in an area of 16.187 ha. TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA) (Khasra No. 2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P) Village – Tikariya, Tehsil Murwara, Distt. Katni (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव बोहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्विंटिव इनवायरो सर्विससे, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s ISMAIL AND SONS, SALES OFFICE :-Near Mission Chock , KATNI (M.P.) PIN Code :- 483501.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	16.187 hectare.
स्थल	Village – Tikariya, Tehsil Murwara, Distt. Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध निष्पादन दिनांक 09/04/22 ^प	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Required.	
प्रकरण की स्थिति	आवेदन अनुसार No Blasting Required.	
टॉर	सेक की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2899 दिनांक 14/02/24 के द्वारा BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE-102028 Tons per Annum (TPA) & Waste- 6888 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	क्षमता TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 15/09/23 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट एवं मौके पर खदान है, जिमसे वर्तमान में पानी भरा हुआ है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के पत्र क्रमांक 2437 दिनांक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य संबंधी अनापत्ति दी गई है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज है, अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम. एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

28. Case No. 10232/2023 Shri MUKESH GUPTA, Partner, New bus Stand Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.800 ha. Dolomite & 1,02,780 TPA) (Khasra No. 3, 4 and 23) Village – Magarhata and Paraikap, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.). EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज कुमार गुप्ता, मैनेजर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्विएटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri MUKESH GUPTA, Partner, New bus Stand Katni (M.P.)

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

परियोजना का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3, 4 and 23 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.800 hectare.
स्थल	Village – Magarhata and Paraikap, Tehsil Badwara, Distt. Katni (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 13628-29 दिनांक 03/10/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	बिंदु क्रमांक 19.1 अनुसार Not Required.	
टॉर	सेक की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 12/09/23 के द्वारा Dolomite- 1,02,780 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता Dolomite- 1,02,780 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Dolomite-1,02,780 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.763 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 820 दिनांक 03/05/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम दिशा में नाला स्थित होने के कारण म.प्र. गौण खनिज नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के तहत नाला से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़ा गया है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भादावर जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 12/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं।	
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा-	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—
	पूर्व दिशा—
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-69 के सरल क्रमांक-42 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Dolomite-1,02,780 घनमीटर/वर्ष है।
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 0.90 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-
- 5.

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख) प्रतिवर्ष
---------	-------	---------------	----------------------

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

1	विद्यालय अधोसंरचना विकास हेतु	ग्राम मगरहटा एवं परइकाप	80000 /-
2	अन्य कार्य	पंचायत एवं ग्रामीण के मांग के अनुसार	15000 /-
	कुल		95000 /-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातिया	संख्या
1.	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- केथ, शीसम, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, सीताफल आदि।	2000
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, चिरोल, सिस्सू, केथ, कदम, सीताफल आदि।	500
3.	ग्राम मगरहटा एवं परइकाप के नजदीक स्थित समुदायिक भवन, स्कूल एवं आगनवाड़ी में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, जामुन, गुलमोहर, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	500
5.	ग्राम मगरहटा एवं परइकाप समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, कटहल, आमला आदि।	800
	योग		3800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No. – P2/737/2024 Shri Yodha Umare, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Bhopal, Distt. – Bhopal (M.P.) - 462011, Prior Environment Clearance for HARRAHWAHA-3 SAND DEPOSIT Mine in an area

**747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024**

of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. - 412), Village - Harrahawa, Tehsil - Singrauli, District- Singrauli (M.P). ToR Case.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 02 /05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yodha Umare, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Bhopal एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Yodha Umare, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Bhopal, Distt. – Bhopal (M.P.) - 462011, Prior Environment Clearance for HARRAHWAHA-3 SAND DEPOSIT Mine in an area of 4.00 ha. (72,000 cum per year) (Khasra No. - 412), Village - Harrahawa, Tehsil - Singrauli, District- Singrauli (M.P). SIA/MP/MIN/467475/2024.	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.- 412, एरिया – 4.00 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	Village - Harrahawa, Tehsil - Singrauli, District- Singrauli (M.P).	
परियोजना श्रेणी	बी-1 श्रेणी,	
Description of Project	The proposed project is open cast manual and semi-mechanized mining. It has been proposed to collect sand, from the Redh River Bed, Mining will be confined to the allotted lease area from which approximately 72,000 Cubic meter/Year will be excavated per annum.	
सैद्धांतिक सहमति	अवर सचिव, म.प्र. शासन, खनिज विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र दिनांक 31 / 05 / 2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान रेण नदी में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 72,000 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 29.00 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1746 दिनांक 23/05 2023 अनुसार 10 किलोमीटर	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

एनओसी	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1746 दिनांक 23/05 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत हर्वाहा जिला – सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 14/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्त नहीं है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है :-

1. माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान क्षेत्र यदि जलमग्न है तो परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान ग्राम सभा ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी एक्वेटिक फ्लोरल एण्ड फोनल स्टण्डी कर उसकी रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्वीकृत मात्रा तथा टेंडर में स्वीकृत मात्रा में यदि काफी अंतर है तो उसका स्पष्टीकरण / औचित्य ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड मारिनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।
9. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

10. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. आवंटित खनन क्षेत्र में यदि एक्वेटिक फोना ब्रीडिंग क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
12. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A. II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
15. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

30. Case No. 11049/2023 Shri Rajesh Shukla, M/s Aditya Traders, C/o RO-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Cheetakheda in an area of 5.00 ha. (100005 TPA) (Khasra No. 488), Village-Cheetakheda, Tehsil-Jiran, District-Neemuch (MP) [441823] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान समिति की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajesh Shukla** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Sjri RAJESH SHUKLA, Owner, M/s Aditya Traders, C/o Ro-833, Krishnartri Bhawan, 1st Floor, Dubey Colony, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	488 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	ग्राम Cheeta Kheda तसहील Jiran जिला Neemuch (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 12222	

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

	दिनांक 23/08/23 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting is not proposed.
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के द्वारा लेटेराइट-1,00,005 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेटेराइट-1,00,005 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार लेटेराइट-1,00,005 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य नहीं खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1117 दिनांक 11/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चीताखेड़ा जिला नीमच के पत्र दिनांक 23/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 1357 दिनांक 04/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100पेड़ लगाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटेराइट—1,00,005 टीपीए है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 7.21 लाख प्रति वर्ष।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.95 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख) प्रतिवर्ष
1	विद्यालय अधोसंरचना विकास हेतु	ग्राम मगरहटा एवं परइकाप	80000/-
2	अन्य कार्य	पंचायत एवं ग्रामीण के मांग के अनुसार	15000/-
	कुल		95000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
1 st and 5 th Year	In barrier zone (7948sqm)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	1600
3 rd year to 5 th year	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	200
		Total	1800
1 st year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

31. Case No.- 10680/23 Shri Madhav Agarwal, Director, M/s Mudra Steel Industries Private Limited, 606, Fortune Ambience, South Tukoganj, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for "Proposed Expansion of the Existing Rolling Mill production from 1, 50,000 to 1, 80,000 TPA with Installation of Wire Drawing Mill, Pickling Plant and Annealing Plant within existing facility over an area of 60,000 sq.mt in (180000 MTPA) (164C), Plot no. 418, 419, 406, 407, 408

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

Pithampur Industria Area A , Dhar District-Dhar (MP) [460977] EIA Cat. - 3(a)
SIA/MP/IND1/463585/2023. (Query EIA)

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of the Existing Rolling Mill production from 1, 50,000 to 1, 80,000 TPA with Installation of Wire Drawing Mill, Pickling Plant and Annealing Plant within existing facility over an area of 60,000 sq.mt in (180000 MTPA) (164C), Village-Bagdan, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [460977] -Cat. - 3(a).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 697th meeting dated 23.11.2023 wherein ToR was recommended.

PP submitted following points in the Parivesh portal.

SN	Projects Details	
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/463585/2023.
2.	Proposal /Activity Name	Shri Madhav Agarwal, Director, M/s Mudra Steel Industries Private Limited, 606, Fortune Ambience, South Tukoganj, District-Indore (MP)-452001,
3.	Location of Project	<i>Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Proposed 600 TPD M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product Manufacturing Unit in an area of 3.4293 ha. (219000 MTPA) (Khasra No. F43J10), Village-Badgaon, Tehsil-Dhar, District-Dhar (MP) [448508].</i> <u>Cat. 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous).</u>
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	New
5.	ToR	ToR Recommended in 697 th SEAC Meeting Dated 11.10.2023, ToR letter issued vide letter No. 2232 dated 08 /12 /2023.
6.	Description of Project	Proposed 600 TPD M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process
7.	Project Cost Rs.	4950 Lakhs.
8.	Area in ha.	3.4293 ha.
9.	Production Qty. in M ³ /Y	<ul style="list-style-type: none"> Proposed 600 TPD M.S.Billets, TMTBars & Rolled Product Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process.
10.	Undertaking No Construction	<ul style="list-style-type: none"> PP submitted affidavit dated 16 /10/2023.
Documentary Details		
11.	Deed Registration	MPIDC, Indore date 10/10/2023.
12.	Google image status	Latitudes: 22°37'22.02"N - 22°37'26.31"N Longitudes: 75°34'42.77"E - 75°34'52.86"E
13.	Water NoC	PP Apply Letter No. Nil date 13/10/2023.
14.	Tehsildar Certificate	-
15.	DFO NOC	-
16.	Gram Panchayat / Gram Sabha NOC	-
17.	Env. Con.	Shri Horizon Ventures, Bangalore Valid up to 07/03/2025.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

18.	PFR	Ok
19.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -

The case was presented by Env Consultant Mr Milind Kundal from M/s. Horizon Ventures, Bangalore and Shri Madhav Agarwal, Director wherein PP submitted that SEIAA has amendment in the title of the TOR vide letter no. 2389 dated 27.01.2023. Earlier in the 736th SEAC meeting dated 03.04.2024 query after presentation Committee was asked PP to submit following information:

- Submit authentic ambient air quality monitoring data .
- Details of air pollution control system.
- Technology details of the proposed plant.
- Revised plantation details.
- Address Complaint points mentioned in the TOR (As reported in the complaint of Shri B. Tibrewala, Chief Executive, Gujrat Ambuja Export Ltd, Dhar PP shall submit following information- distance of plant from Hexane storage and the guidelines (if any) issued by Petroleum & Explosives Safety Organization (PESO) with respect to safe distance of furnace operations from Hexane storage.

PP submitted that query reply through on-line portal and same was presented by the PP in the SEAC meeting .

The ADS reply submitted by M/s Horizon Ventures, Bangalore which were found satisfactory and acceptable and other details of the projects which were found satisfactory and acceptable hence **the case was recommended for grant of prior EC for 600 TPD i.e. 2,19,000 MT M.S.Billets, TMT Bars & Rolled Product Manufacturing Unit Through Secondary Metallurgical Process at Plot No. 418, 419, 406, 407, 408, in Notified Industrial Area, Pithampur Industrial Area Sector 3 Dist. Dhar (MP). Category: 3(a) Metallurgical Industries (Ferrous & Non-Ferrous) with subject to the following subject to the following specific & general conditions:**

A. Statutory compliance:

- I. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

- II. The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water/from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- III. The project proponent shall obtain consent/authorization from MP Pollution Control Board.

B. Air quality monitoring and preservation

- I. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277 (E) dated 31" March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; S.O. 3305 (E) dated 7th December 2015(Thermal Power Plants) as amended from time to time) and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- II. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories
- III. The project proponent shall install one system to carryout Continuous Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission and S02 and NOx in reference to S02 and NOx emissions). Similarly, within and outside the plant area manual monitoring at least at three locations one within and two outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions shall be monitored.
- IV. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six monthly monitoring report.

- V. Appropriate Air Pollution Control (APC) system such as Bag filters (reverse pulse jet cleaning) shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources with secondary fume extraction system.
- VI. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags.
- VII. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners and mechanical dust sweeping machines shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly. All the internal roads shall be made pucca.
- VIII. Recycle and reuse iron ore fines, coal and coke fines, lime fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process after briquetting/ agglomeration.
- IX. The project proponent shall use leak proof trucks/dumpers carrying coal and other raw materials and cover them with tarpaulin.
- X. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, lump ore, etc.
- XI. The project proponent shall provide primary and secondary fume extraction system at all melting furnaces.
- XII. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, oil, cellars.

C. Water quality monitoring and preservation

- I. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers/sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- II. The project proponent shall submit monthly summary report of ground water quality to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.
- III. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- IV. Sewage Treatment Plant (15 KLD) shall be provided for treatment of domestic wastewater to meet the prescribed standards.
- V. The treated water from STP shall be used for gardening and spraying of roads.

- VI. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent, rain water therefore can be conserved within the plant.

D. Noise monitoring and prevention

- I. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- II. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

E. Energy Conservation measures

- I. The project proponent shall provide waste heat recovery system (pre-heating of combustion air) at the flue gases of reheating furnaces.
- II. Practice hot charging of slabs and billets/blooms as far as possible.
- III. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnaces.
- IV. Provide solar power generation on rooftops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- V. For this project Electrical Power 25,000 KVA shall be meet by Madhya Pradesh Electricity Board (MPEB) Indore .
- VI. Provide the project proponent for LED lights in their offices and residential areas.
- VII. 02 DG Set (300KVA- 02 nos.) are proposed for this project. So, acoustic canopy shall be installed.

F. Waste management

- I. Proposed quantity of Furnace Slag& from Rolling Mill produced during process which shall be managed through installed iron recovery unit from slag and the recovered iron is being used with scrap to charge in induction furnace. The remaining part is being used for civil work & bricks manufacturing after TCLD test and approval from the MP Pollution Control Board.

Waste	Total
--------------	--------------

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

Iron Slag	39,420 MT
Mill scale from Rolling Mill	2920 MT

- II. The waste/spent oil & other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 and as per conditions stipulated by M. P. Pollution Control Board .
- III. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- IV. Oily scum and metallic sludge recovered from rolling mills ETP shall be mixed, dried, and briquetted and reused melting Furnaces.

G. Green Belt

- I. **Green belt shall be developed in the 33% area (11367.55 SQM) (wherein 4018 plants) area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant with minimum three row plantation towards the road and village side. Medicinal plants shall also be grown in the landscape garden.**
- II. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

H. Public hearing and Human health issues

- I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- II. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- III. Provision shall be made for the housing of construction labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- IV. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

I. EMP&Corporate Environment Responsibility

- I. **In the proposed EMP, Rs. 322.8 Lakh as capital cost for the project and Rs. 68.32 Lakh /year has proposed as recurring expenses.**
- II. Under CER Programme following activities have been proposed and these activities shall be implemented within time frame as committed by PP -
- Fund of Rs. 12 lakhs for Installation of Solar Panel in nearby Schools through Education Department
 - I. Government Higher Secondary School, Sagore
 - II. Government High School, Kheda
 - III. Govt Primary School Utraksht, Sulawad
 - IV. Govt Secondary School, Bardari
 - V. Govt Secondar School Sagor Kuti, Madhavpur
 - Providing financial support of Rs.30 Lakhs to Veternary Hospital and Providing Financial Support to Nearby PHC of Rs. 30 Lakhs
 - Fundof Rs. 22 lakhs for Distribution of fruit & fodder bearing trees for plantation to Forest Department.
 - Fund of Rs. 30 lakhsfor Solar Street Lights in Sagore, Sulawad and Bicholi Villages through Village panchayat.
 - Fund of Rs. 26 lakhsfor Setting up of hand pumps in nearby villages to nearby Village Panchayats
- III. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- IV. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the

environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

- V. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- VI. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- VII. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- VIII. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants shall be implemented.

J. Miscellaneous

- I. For Fire Protection System, fire water pumps of 5 H.P. Capacity shall be provided by PP.
- II. AC motor driven fire water pumps for hydrant, medium velocity water spray system and foam system and Jackey pump 1 no. (AC motor driven) for maintaining pressure shall be provided.
- III. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- V. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मई 2024

Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

- VI. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- VII. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- VIII. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Movable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

- n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

747वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 02 मई 2024

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फीट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फीट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई च्त्तवदम उतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे